# स्टेट बार कौंसिल आफ मध्यप्रदेश, जबलपुर

## प्राविधिक नामांकन प्रमाण पत्र

(वैधता दिनांक 14/Oct/2026 से दिनांक 14/Oct/2029 तक )

नामांकन कमांक MP/7874/2026 नामांकन दिनांक 14/Oct/2026

वृतिकस्थल GWALIOR

प्रति,




Shri ADARSH SINGH KUSHWAH
S/O BRAJENDRA SINGH
GUDA GUDI KA NAKA NADARIYA KI MATA
KRISHNA COLONY PEEPRI KAMPOO GWALIOR
Gwalior

महोदय / महोदया,

एतद् सूचित किया जाता है कि स्टेट बार कौसिंल आफ मध्यप्रदेश की नामांकन समिति द्वारा नामांकन क्रमांक MP/7874/2026 दिनांक 14/Oct/2026 के द्वारा आपको एडवोकेट घोषित कर दिया गया है एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ म.प्र. की अधिवक्ता नामावली पंजी मे अंकित कर लिया गया है ।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 मे अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई, अत: आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49(1) (ए एच) के अंतर्गत बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा बनाये गये नियमो के अधीन अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर विधि व्यवसाय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

बार कौसिल आफ इंडिया की अखिल भारतीय बार परीक्षा समिति कि बैठक दिनांक 26 अगस्त 2012 मे पारित प्रस्ताव एवं बैठक दिनांक 2 मार्च 2025 के अनुसार यह प्राविधिक नामांकन प्रमाण–पत्र आपके नामांकन दिनांक 14/Oct/2026 से दिनांक 14/Oct/2029 तक मात्र तीन वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा । उक्त तीन साल की अवधि में यदि आपके द्वारा अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नही की जाती है तो उस स्थिति मे परिषद द्वारा आपका नामांकन रद्द कर स्टेट रोल से आपका नाम हटा दिया जावेगा ।

यदि आपके द्वारा तीन साल की अवधि के अंदर अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाती है तदुपरांत ही बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले Certificate of Practice के आधार पर आपको परिषद द्वारा अधिवक्ता नामांकन की मूल सनद एवं परिचय पत्र जारी किया जाऐगा ।

अखिल भारतीय बार परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया , नई दिल्ली से निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है। :–

**THE SECRETARY**
Bar Council of India
21, Rouse Avenue, Institutional Area,
Near Bal Bhawan, New Delhi ,Pin 110002
Telephone No 011-49225000,32402082
Telefax-011 41036283
Email: info@barcouncilofindia.org,
Website : www.barcouncilofindia.org

भवदीय

ASHISH ANAND
सचिव
म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद

नोट – प्राविधिक प्रमाण पत्र के आधार पर आप अपने जिलास्तर स्तर के अधिवक्ता संघ मे सदस्यता ग्रहण कर सकते है, जो 3 वर्ष कि अवधी हेतु प्राविधिक सदस्यता होगी ।
प्रमाण पत्र मिलने के बाद अधिवक्ता अपना डिक्लेरेशन फार्म एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवश्यक रूप से भरे ।

(कृपया पृष्ठ पलट कर देखें)

# अखिल भारतीय बार परीक्षा से संबंधित बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के संबंध में आवश्यक विवरण

भारतीय विधिज्ञ परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2010

अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम – 2010

भारतीय विधज्ञ परिषद ने 30 अप्रैल 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :–

संकल्प संख्या : 73/2010

संकल्प किया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद, उसे ऐसी शर्तें अधिकथित करने की शक्ति न्यस्त होने के कारण, जिसके अधीन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा, अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करेगी जिसमें उत्तीर्ण होने पर अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने का प्रमाण–पत्र करने का हकदार होगा जिससे वह अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात होगा/होगी । अतः भारतीय विधिज्ञ परिषद अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने के लिये विधि शिक्षा निदेशालय द्वारा विरचित नियमों का अनुमोदन करती है ।

उपर्युक्त संकल्प को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (ए एच) के अधीन विधि व्यवसाय करने की शर्तें :– भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के अध्याय III भाग IV में निम्नलिखित नियम बनाती है और उन्हें नियम 9 से 11 तक के रूप में अंत : – स्थापित करती है ।

9. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा–24 के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिये तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संचालित अखिल भारतीय बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती है । यह स्पष्ट किया जाता है कि बार परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2009–2010 और आगामी वर्षों में आगे स्नातक बनने वाले और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा–24 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले सभी विधि विद्यार्थियों के लिये आज्ञापक है ।

<u>अखिल भारतीय बार परीक्षा</u>

10. (1) अखिल भारतीय बार परीक्षा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा आयोजित की जायेगी ।

(क) बार परीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे मास और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जायेगी जो भारतीय विधिज्ञ परिषद समय–समय पर अवधारित करे ।

(ख) बार परीक्षा ऐसे मूल और प्रकियागत विधि क्षेत्रों में अधिवक्ताओं की परीक्षा लेगी जैसा भारतीय विधिज्ञ परिषद समय–समय पर अवधारित करे ।

(ग) ऐसे मूल/प्रकियागत विधि क्षेत्रों (विषयों) और पाठ्यकम का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा प्रकाशन परीक्षा के नियम तारीख से कम–से–कम तीन मास पूर्व किया जायेगा ।

(घ) बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये अपेक्षित अंकों का प्रतिशत भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(ड) असफल अधिवक्ता बार परीक्षा में पुनः बैठ सकेगा उसके लिये बैठने की कोई सीमा नहीं होगी ।

(च) भारतीय विधिज्ञ परिषद, विशेषज्ञों की एक समिति की मार्फत, पाठ्यकम, सिफारिश किये गये पाठन, परीक्षा पत्र निर्धारकों, माडरेटरों, मूल्यांककों की नियुक्ति, माडल उत्तरों परीक्षा भवन संबंधी नियमों और अन्य संबंधित विषयों का अवधारण करेगी ।

(छ) भारतीय विधिज्ञ परिषद परीक्षा के लिये रीति और आवेदन–पत्र का प्रपत्र की अवधारण करेगी ।

(ज) बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, अधिवक्ता विधि–व्यवसाय प्रमाण–पत्र पाने का हकदार होगा ।

<u>विधि व्यवसाय के प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन</u>

11. (1) विधि व्यवसाय का प्रमाण–पत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा परिणामों की घोषणा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सफल अधिवक्ता के पते पर जारी किया जाएगा ।

(2) विधि व्यवसाय का प्रमाण–पत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष के हस्ताक्षराधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी किया जायेगा ।

भारत का राजपत्र, 12 जून 2010 (22 ज्येष्ठ 1932) द्वारा प्रकाशित